# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 49 / 2025

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रतनगर पुत्र शेरगर व्यस्क जाति स्वामी निवासी नया खरटिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा | | 1. नेनाराम पुत्र डाउराम व्यस्क<br>2. भैराराम पुत्र डाउराम व्यस्क<br>3. रामाराम पुत्र डाउराम व्यस्क<br>4. रावताराम पुत्र डाउराम व्यस्क<br>5. लूम्बाराम पुत्र डाउराम व्यस्क जातियान भील साकिन नया खरटिया तहसील सिणधरी<br>6. खेताराम पुत्र पैलादराम व्यस्क<br>7. हीराराम पुत्र पैलादराम व्यस्क<br>8. खीयाराम पुत्र वेहनाराम व्यस्क<br>9. गवरी पत्नी वेहनाराम व्यस्क<br>10. तेजाराम पुत्र वेहनाराम व्यस्क<br>11. रूगाराम पुत्र पूनमाराम व्यस्क<br>12. हनुमानराम पुत्र पूनमाराम व्यस्क<br>13. हेमाराम पुत्र पूनमाराम व्यस्क<br>14. लुम्भाराम पुत्र मोडाराम व्यस्क<br>15. कानाराम पुत्र मूलाराम व्यस्क<br>16. खेमाराम पुत्र पुरखाराम व्यस्क<br>17. धीराराम पुत्र मूलाराम व्यस्क<br>18. नथूदेवी पत्नी मगाराम व्यस्क<br>19. पप्पु पुत्री मेगाराम व्यस्क<br>20. प्रतापाराम पुत्र मेगाराम व्यस्क<br>21. पुरो पुत्री मेगाराम व्यस्क<br>22. बाबूराम पुत्र मूलाराम व्यस्क<br>23. मंजू पुत्री मेगाराम व्यस्क<br>24. रूखमा देवी पत्नी मेगाराम व्यस्क<br>25. रावताराम पुत्र मगाराम व्यस्क जातियन जाट साकिन नया खरटिया तहसील सिणधरी<br>26. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक चवा<br>27. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक लि. सुमेरपुर<br>28. तहसीलदार सिणधरी |

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:25 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति–**

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

# आदेश

**दिनांक** – 15.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:25 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम नया खरंटिया में खसरा संख्या 276/200 रकबा 3.6485 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:23:25 IST
Reason: SelfAttested